



म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

ब्लाक-1, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल
(मुख्य कार्यालय-59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल)

क्रमांक / 1374 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/2012

दिनांक 08/02/2012

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.
जिला - समस्त जिले (म.प्र.)

विषय: मनरेगा अंतर्गत संचालित हितग्राही मूलक उपयोजनायें का लाभ अन्य जिले के में स्थित भूमि पर दिये जाने बाबत दिशा निर्देश।

संदर्भ: परिषद का पत्र क्र. 8588/एनआर-3/17/10-11 दि. 13.08.2010।

मनरेगा अंतर्गत संचालित हितग्राही मूलक उपयोजनायें का लाभ सन्मान जनपद पंचायत की अन्य ग्राम पंचायत में दिये जाने की प्रक्रिया का निर्धारण करते हुये जिला पंचायत बुरहानपुर को मार्गदर्शन प्रदान करते हुये सभी जिलों को तदानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रतिलिपि परिषद के संदर्भित पत्र से दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में विभाग द्वारा लिये गये निर्णयानुसार एतत् द्वारा इस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पत्र जारी दिनांक से पूर्व के निर्माणाधीन कूप तत्समय लागू प्रक्रिया अनुसार पूर्ण कराये जा सकेंगे।

(नीरज मंडलोई)

आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पू.क्रमांक / 1375 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/2012

दिनांक 08/02/2012

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त समस्त संभाग मध्यप्रदेश।
 2. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल समस्त मध्यप्रदेश।
 3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग समस्त मध्यप्रदेश।
- कृपया अधीनस्थ सहायक यंत्रियों/उपयंत्रियों को पत्र की प्रति उपलब्ध कराई जावे।

आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद